बजट - भाषण

मृगेन्द्र प्रताप सिंह
वित्त मंत्री
झारखण्ड सरकार

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मै झारखण्ड राज्य का वित्तीय वर्ष 2003-2004 का आय-व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों के विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आप कृपया अवगत होंगे कि विगत कुछ वर्षो से ही विश्व एवं हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था में काफी बदलाव आ रहा है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप धीरे-धीरे पूरी दुनिया की अर्थ नीति एकीकरण की दिशा में जा रही है। यूरोपीय राष्ट्र समूह के देश अपने बीच विद्यमान अर्थ नीति का बंधेज हटाकर एक नयी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। एशिया महादेश के जापान, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया पहले से ही इस खुली व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं एवं अन्य बाकी देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस निमित्त यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों में लागू विभिन्न अर्थव्यवस्थाएँ समाप्त होकर समरूप हो जाए। इसी उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है एवं इस समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर अगले वित्तीय वर्ष से VAT प्रणाली लागू किया जाएगा। इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप उद्योगपति, व्यापारियों को सुगमता पुर्वक सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी ।

- विश्व अर्थ नीति के विकास की गति को देखते हुए उपरोक्त व्यवस्था अनिवार्य है, नहीं तो हमारे देश का औद्योगिक विकास एक सीमित क्षेत्र में ही सिमटकर रह जाएगा। **VAT** प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप कुछ ही वर्षो में हमारे देश में उद्योगों का त्वरित गति से विकास होगा। हमारे राज्य में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
- पिछले वर्ष हमारे राज्य में सूखे की समस्या गम्भीर रूप में सामने आई जिसके चलते कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत का ह्रास हुआ, फिर भी उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के चलते कुल उत्पादनमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन झारखण्ड के कुल उत्पादन में बढ़ोत्तरी संतोषप्रद रहा है जो हमारी सरकार की विकास नीति की सफलता का परिचायक है। मै आपको आशा दिलाता हूँ कि यह तेजी अगले वर्षो में भी जारी रहेगी।
- अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग द्वारा आहूत की गई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सभी मुख्य मंत्रियों के विचार-विमर्श के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि राज्यों के विकास में सभी क्षेत्रों का योगदान अनिवार्य है। राज्य के विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका Supporting है परन्तु विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों में विकास लाए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो,या उद्योग का हो।
- महोदय, सभी राष्ट्र में कृषि के अलावे निर्माण संबंधी क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विकसित राज्यों की अर्थव्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि संरचनाओं का निर्माण राष्ट्र का प्रधान कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि पुराने समय से जारी विभिन्न प्रक्रियात्मक बंधेजों को हटा दिया जाय एवं सरल प्रक्रिया अपनायी

जाए। राज्य सरकार प्रयत्नशील है कि Apartment Act लागू किया जाय ताकि भवन निर्माण के क्षेत्र में अधिक-से-अधिक पूँजी निवेश हो, उच्च कोटि का निर्माण कार्य हो एवं विकास की गति त्वरित हो। ईंट जो कि मोहनजोदड़ो सभ्यता काल से ही हिन्दुस्तान में प्रचलित है, निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण सामग्री है। राज्य सरकार ईंट भट्ठा तथा Stone Crasher पर कर प्रणाली में Compounding व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार कर रही है ताकि इस क्षेत्र में भी पूँजी निवेश को बढ़ावा मिले।

सेवा क्षेत्र का हमारे राष्ट्रीय आयमें 50 प्रतिशत योगदान है। इसमें होटल एवं पर्यटन क्षेत्र भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। राज्य सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटे होटलों, ढ़ाबों आदि के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था एवं Compounding व्यवस्था लागू करने के बारे में विचार कर रही है ताकि हमारा राज्य भी शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश, केरल जैसे राज्यों की तरह पर्यटकों को आकर्षित कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, आप कृपया अवगत होगें कि वर्तमान विकेन्द्रीकृत शासन-व्यवस्था का ढाँचा सन् 1936 में शुरू हुआ था, जब पहली बार चुने जन प्रतिनिधियों ने पंचायत का कार्य भार सम्भाला था। परन्तु उस समय आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की दिशा में कोई कार्रवाई भी नहीं की गई थी। अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनुशासन के साथ-साथ आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। आप सहमत होगे कि झारखण्ड ने उस दिशा में पिछले दो वर्षो में काफी प्रगति की है।

महोदय, आजादी के बाद सरकारी कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आजादी के समय जहाँ पूरे बिहार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कुछ हजारों में थी, वह राज्य पुनर्गठन के समय तक लाखों में पहुँच गई। जन सुविधाएँ राज्य के कोने-कोने तक पहुँच तो गयीं पर किस खर्च पर ! - इस प्रश्न पर गहराई से समीक्षा की आवश्यकता है ताकि और कारगर रूप से जनता की सेवा की जा सके। देश के सभी राज्य अपने बजट का मुख्य हिस्सा अपने कर्मचारियों के वेतन मद में खर्च कर रहे हैं। इसीलिए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह आशंका जताई गई थी कि कुछ दिनों में सरकार का पेंशन का बजट भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से अधिक हो जाएगा।

✦ महोदय, काफी समय से सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ सरकार के कोष से दिया जाता रहा है जिसके चलते राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से ऊँचे दर पर ऋण लेना पड़ता है। आज देश के कोने-कोने में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ हो गई हैं जो देश की जनता को विभिन्न प्रकार के ऋण एवं सुविधाएँ मुहैय्या कराती हैं इसलिए झारखण्ड सरकार इस बिन्दु पर समीक्षाकर रही है कि सरकारी सेवकों का गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम एवं अन्यान्य ऋण तथा पेंशन आदि भी विकेन्द्रीकृत किया जाय ताकि ये सभी सेवाएँ आसानी से सरकारी सेवकों को मिल सके।

✦ अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड सरकार अपना संसाधन बढ़ाने के साथ-साथ झारखण्ड को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने पर विचार कर रही है। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष हमारी सरकार ने सभी चिन्हित वस्तुयों पर फ्लोर रेट लगाया। पूर्वांचल में झारखण्ड राज्य में कर का बोझ सबसे कम होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति वसूली पूर्व भारत में सबसे अधिक है। हमारा वार्षिक उत्पादन भी यह सूचित करता है कि हमारी सरकार द्वारा लिए गये हर निर्णय का परिणाम अच्छा

रहा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के लिए हमलोगों ने प्रोत्साहन योजना लागू किया है जिसके चलते पिछले वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र में हमारी रिकार्ड आमदनी हुई। अन्य क्षेत्रों में भी आमदनी उत्साहवर्द्धक रही।

- महोदय, बिहार के साथ आस्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण पुराना बकाया के फलस्वरूप हमलोग दीर्घस्थायी योजना शुरू करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में हम अपने गैर योजना मद में नियंत्रण के द्वारा खर्च कम करने का प्रयत्न करेंगें जिसके लिए कुल बजट का आँकड़ा इस वर्ष 9487.32 रखा गया है लेकिन योजना मद में पिछले वर्ष के 2650.00 करोड़ रू. के स्थान पर लगभग 2900.00 करोड़ रू. का आँकड़ा,यानी 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसके चलते हमारे विकास की गति और तेजी से बढ़गी।
- महोदय, मैं आपको मुख्य रूप से यह जानकारी देना चाहूँगा कि वर्तमान बजट में महत्वपूर्ण विषय क्या हैं।
- कृषि प्रक्षेत्र में विकास किये बिना, राज्य की ग्रामीण आबादी का विकास सम्भव नहीं है। सरकार का प्रयास है कि राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाये। इसके लिए उत्पादकता में दोगुनी वृद्धि करनी होगी। विभिन्न फसलों के लिये प्रमाणित बीज की आपूर्त्ति तथा कृषि में वैज्ञानिक तकनीकी के प्रचार-प्रसार के द्वारा राज्य में खरीफ तथा रब्बी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं। बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत धान, मकई, अरहर आदि का वितरण, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला कृषक समूहों को अनुदानित दर पर पावर टिलर वितरण आदि इस प्रकार के कार्यक्रम हैं।
- कृषि विभाग के ढ़ाँचा सुधार, शोध एवं कृषि तथा फसल विकास की नीतियाँ निर्धारित करने हेतु "कृषि सुधार, शोध एवं विकास आयोग" का गठन किया गया है। दुमका, जामताड़ा, पलामू एवं चाईबासा में "एग्रीकल्चर टेक्नोलौजी मैनेजमेंट एजेंसी" का गठन किया गया है। कृषि उपज के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने तथा निर्यात हेतु एग्रो एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की जा रही है।
- पशुपालन प्रक्षेत्र को भी नयी दिशा देने का प्रयास किया गया है। इस प्रक्षेत्र में थ्रस्ट एरिया की पहचान कर उन पर संसाधनों को केन्द्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। ये थ्रस्ट एरिया हैं- कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं को चिकित्सा सुविधा आदि। राज्य में 405 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की गयी है ताकि पशुओं के नस्ल सुधार तथा दूध की उत्पादकता में वृद्धि हो। राज्य के चार जिलों यथा, राँची, जमशेदपुर, धनबाद तथा गढ़वा में चलन्त कृत्रिम गर्भाधान सह पोलीटेकनिक की स्थापना की गयी है। राजकीय बेकन फैक्ट्री के कुशल संचालन के लिये नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है।
- अविभाजित बिहार में इस क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं पर राज्य सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। अब प्राथमिकता के आधार पर राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। नवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना की लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2001-02 में 5 बृहत् सिंचाई परियोजनाओं यथा, स्वर्ण रेखा परियोजना का चांडिल बांयी मुख्यनहर के कि. मी. 78.59 तक निर्माण का कार्य, अजय बराज परियोजना, गुमानी बराज परियोजना, तथा पुनासी जलाशय

योजना की निर्माण गति को आगे बढ़ाया गया। नौ मध्यम सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य में भी प्रगति लायी गयी। उपर्युक्त के माध्यम से कुल 3500 हे0 अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन मध्यम सिंचाई योजनाओं यथा, कतरी, धनसिंह टोली एवं कंसजोर को पूर्ण कर 7540 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। दिनांक 8.11.02 को लतरातू एवं तपकरा जलाशय योजनाओं को पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। इन दोनों योजनाओं से 2500 हे0 क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है। इस वर्ष में पुरानी जीर्ण-शीर्ण योजनाओं का पुर्नस्थापन करते हुये 20,000 हे0 क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। सरकार का प्रयास है कि राज्य योजना तथा बाह्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुये सभी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 3-4 वर्ष की अविध में पूरा कर लिया जाये तथा बृहद सिंचाई योजनायें अधिकतम् 5वर्षो की अवधि में पूरी कर ली जायें।
- लधु सिंचाई प्रक्षेत्र में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बड़े व्यास के' सिंचाई कूप, आहर, तालाब, माइक्रोलिफ्ट, श्रृंखलाबद्ध चैकडैम और चैकडैम का निर्माण कर कुल 11,733 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में उपुर्यक्त योजनाओं के अतिरिक्त ग्राम भागीरथी योजना के अन्तर्गत परामर्शियों से विभिन्न जिलों लिये प्राप्त योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जायेगा।
- राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिये राज्यांश की विमुक्ति में विलम्ब न हो, इसका सतत् प्रयास किया जाता है। वर्त्तमान वर्ष में भारत सरकारद्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को राशि सीधे उपलब्ध न करा कर, राज्य सरकार के माध्यम से दी जायेगी। यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी तथा इससे ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति तथा राशि की उपलब्धता के पर्यवेक्षण में सुविधा होगी।
- ग्रामीण विकास के लिये चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की स्थिति निम्नांकित है:-

(1) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण तथाइसके माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर उठाना सरकार का उद्देश्य है। वर्ष 2002-03 में अब तक 2810.213 लाख रूपये व्यय कर 31011 स्वरोजगारियों को लाभ पहुँचाया गया है तथा 13653 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अगले वर्ष 6319.49 लाख केन्द्रांश तथा 2592.15 राज्यांश व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) जलछाजन योजना-झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत 12जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अन्तर्गत जलछाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा अन्य जिलों में समेकित भूमि विकास (IWDP) के अन्तर्गत जलछाजन कार्यक्रम कार्यान्वित कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 859 जलछाजन क्षेत्रों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2003-04 में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 3960.00 लाख तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 1320.00 लाख रू. व्यय करने का लक्ष्य है।

(3) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के साथ खाद्यान्न सुरक्षा तथा स्थायी सामुदायिक, सामाजिक, आर्थिक

परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु यह योजना चलायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 24961 योजनायें पूर्ण कर 202.42 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है।

(4) इन्दिरा आवास योजना – निर्धन ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहभागिता से चलता है। इस वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक कुल 5752.617 लाख रूपये व्ययकर 30597 इकाईयों का निर्माण/उन्नयनकिया गया है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में इस योजना के लिये केन्द्रांश के रूप में 11390.08 लाख रू. एवं राज्यांश के तहत् 3796.70 लाख रू. व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

(5) विधायक योजना – इस योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2003 तक 6327.59 लाख रू. व्यय कर 8390 योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।

(6) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम – इस योजना के अन्तर्गत ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा ग्रामीण पथों, पुल-पुलियों का निर्माण एवं मरम्मति कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इसके साथ ही पुराने पथों का सुदृढ़ीकरण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पथ निर्माण कार्य भी कराये जाते हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कुल राशि 17517.95 लाख रूपये के विरूद्ध 12360.17 लाख रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है।

उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 17164 आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया है एवं 10006 आवासों का कार्य प्रगति पर है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 1000 आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2002–03 में इस योजना के अन्तर्गत 95 पैकेजों के तहत् 202 पथों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 2003–04 में इस योजना हेतु 400.00 करोड़ रू.व्यय करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव को पंचायत से एवं पंचायत मुख्यालय को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ने के लिए, मार्ग में पड़ने वाले नदी–नालों पर पुल–पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2002–03 में 950 योजनायें पूर्ण की गयी हैं तथा 905 योजनायें प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2003–04 में इस योजना के अन्तर्गत 30,00.00 लाख रूपये व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक लोगों का कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता है। झारखण्ड राज्य के गठन के पिछले दो वर्षो में समाज के इन वर्गो के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी गयी हैं जिनमें मुख्यतः छात्रवृति वितरण, 110 आवासीय विद्यालयों का संचालन, आदिम जातियों के लिए आवास योजना, प्राक् प्रशिक्षण, छात्रावास भवन निर्माण, तकनीकी छात्रवृत्ति, पहाड़िया आदिम जातियों के लिए भोकेशनल प्रशिक्षण तथा स्कूलों में मध्यकालीन भोजन की व्यवस्था, आठवीं, नवम् एवं दसवीं कक्षा के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे के छात्राओं को मुफ्त साईकिल वितरण आदि शामिल है।

अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए अम्बेदकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत राज्य से बाहर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति तथा व्यावसायिक

पायलट प्रशिक्षण देने की योजना शामिल है।

- राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से अनुदान प्राप्त कर झारखण्ड जनजातीय कल्याण सोसाईटी की स्थापना की गई है, जो अनुसूचित जाति बहुल जिलों के चयनित 9 प्रखण्डों में जल छाजन विकास के आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समुदाय के समुचित विकास के कार्यक्रम को लागू करेगी।
- समाज कल्याण के क्षेत्र में चालू योजनाओं के अतिरिक्त गिरिडीह, सरायकेला तथा सिमडेगा में नेत्रहीन विद्यालय की स्थापना के लिये भवन निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के दस जिलों में सम्प्रेषण गृहों का निर्माण कराया जा रहा है। समाज के गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के बीच विशेष यंत्र, ट्राईसाइकिल आदि का वितरण किया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत दुमका जिले में मूक एव बधिर विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 52 नयी बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इन परियोजनाओं के कार्यरत हो जाने से अब राज्य के सभी प्रखण्ड, आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम से आच्छादित हो जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के 40 लाभान्वितों को पोषाहार उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

- पिछला वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में राज्य भर में मनाया गया। राज्य के 66 प्रखण्डों में किशोरी शक्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। राज्य के चुने हुये 24 प्रखण्डों में स्वयं सिद्धायोजना कार्यान्वित की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के अन्य प्रखण्डों में इन कार्यक्रमों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड महिला विकास समिति का गठन किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिये जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद व राँची में छात्रावास निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- शिक्षित नागरिक एक विकसित समाज की संरचना में नींव की ईंट का काम करता है। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिये सरकार लगातार प्रयासरत है। साक्षरता दर बढ़ाने हेतु ग्राम शिक्षा अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। वैसे ग्राम/टोले जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1कि0 मी0 से अधिक है तथा जहाँ 6से14 वर्षो तक के वैसे बच्चों की संख्या, जो किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं है, 15 से 20 के बीच हैं, वहाँ ग्राम शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र की देख-रेख के लिये ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है।
- आगामी वित्तीय वर्ष से सरस्वती वाहिनी मध्याह्न भोजन योजना पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की जा रही है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के छात्र/छात्राओं को पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जायेगा ।
- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 175 विद्यालय भवन तथा 150 से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों में 145 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- वर्ग 1से 5 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, सभी निर्धन अभिभावकों के बच्चों को विद्यालय में उपस्थिति पर प्रोत्साहन भत्ता आदि अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है।

- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय/ राजकीयकृत विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप देने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक सर्व सुविधा सम्पन्न मॉडल स्कूल की स्थापना की जा रही है। राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक +2 विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- झारखण्ड राज्य बनने के पश्चात् उर्जा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। राज्य सृजन के पश्चात् अभीतक 918 गाँवों को विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 833 गाँवों में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कुल 217.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया था जिसके विरूद्ध कुल व्यय 212.00 करोड़ हुआ है। वर्ष 2003-04 में 5000 गाँवों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है।
- झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- राज्य के संचरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 132/33 के. भी., 2/20एम. भी. ए. ग्रीड सबस्टेशन, दुमका,132 के0भी0 डबल सर्किट देवघर, दुमका संचरण लाईन, 132 के0भी0 डबल सर्किट दुमका-ललमटिया संचरण लाईन, 132 के0भी0 सिंग्ल सर्किट डबल सर्किट टावर पर दुमका-पाकुड़ संचरण लाईन तथा 132 के0 भी0 सिंगल सर्किट टावर पर ललमटिंया-साहेबगंज संचरण लाईन के निर्माण की योजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
- ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार हेतु एवं निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए तथा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। राँची, जमशेदपुर, धनबाद के विद्युत वितरण के निजी करण पर विचार किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में आर0सी0एच0 कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर चिकित्सा शिविर एवं आउटरिच कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। 10 जिलों में सुरक्षित प्रसव हेतु 1890 दाईयों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसव सेवा उपलब्ध कराने की योजना है।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 जनवरी 2003 एवं 9 फरवरी 2003 को लगभग 50 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी गयी।
- चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में कुल सात राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय अंगारपारा (पश्चिमी सिंहभूम, बहरागोडा) (पूर्वी सिंहभूम), जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम) बलंडिया (पश्चिम सिंहभूम), कुचाई सरायकेला, निर्शिचतपुर, पश्चिमी सिंहभूम एवं विशनपुर गुमला में कुल 49,70900/- (उनचास लाख सत्तर हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर अस्पताल भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 12 जिलों में औषधालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इसराज्य के अन्तर्गत वनौषधि के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वनौषधि पादप बोर्ड के गठन की कारवाई की जा रही है।
- चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 3 करोड़ की लागत से चाईबासा में डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 8 रेफरल अस्पताल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव है।

साथ ही कुल 2,82,32,000/- (दो करोड़ बेरासी लाख बतीस हजार) रूपये प्रत्येक की लागत पर सरकार द्वारा 100 शैय्यावाले सदर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में उपस्थित 193 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में प्राप्त राशि से सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है।

- राज्य में छः स्थानों पर ट्रौमा सेंटर, सदर अस्पताल में आई वार्ड एवं ओ0 टी0 एवं एस0 आई0 एच0 एफ0 डब्लू0 स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत यक्ष्मा कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों को आर0 एन0 टी0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव है। कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम को अगले वित्तीय वर्ष में और गति देने हेतु जनता की भागीदारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
- पथ निर्माण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1500 कि0मी0 पथ तथा 39 पुल की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्तर्गत पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा विभिन्न पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग 920कि0मी0 लम्बाई की सड़कों में मरम्मती कार्य किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2600 कि0मी0 की पथ योजनाओं एवं 64 पुल योजनाओं पर कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य के 14 महत्वपूर्ण रेलवे क्रोसिंग पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण कार्य किया जाना है। सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ने वाले पथ, राजधानी के प्रमुख पथों को दो लेन चौड़ाई का बनाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। राँची के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाले तथा पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले पथों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। झारखण्ड की उप राजधानी दुमका को अच्छी एवं सुन्दर सड़क से जोड़ने हेतु गोविन्दपुर-जामाताड़ा-दुमका- साहेबगंज घाट तक पथ निर्माण कराने एवं साहेबगंज घाट के गंगा नदी पर पुल बनाने की भी योजना है।

- ✦ राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार प्रयासरत है। सामुदायिक सहभागिता पर आधारित जलापूर्त्ति योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं की प्राक्कलित राशि का 1 प्रतिशत व्यय लाभार्थी समुदाय द्वारा वहन किया जायेगा तथा उनके अनुरक्षण का दायित्व भी लाभार्थी समूह को होगा ।
- ✦ दिसम्बर, 2002 तक इस वर्ष में 17,430 नये नलकूपोंका निर्माण एवं 8629 बंद नलकूपों को इंडिया मार्का-71 से इंडिया मार्क-111 में परिवर्तित किया जा चुका है। 2000-5000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च प्रवाही नलकूप तथा जलमीनार की योजनाओं के अतिरिक्त 42 अन्य ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। गोंडा हिल अन्तर्गत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
- ✦ सरकार की योजना हैकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 व्यक्ति/15 घर या 500 मीटर की क्षैतिज दूरी को मापदंड मानकर कम से कम एक पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जाये। राज्य के 7500 ऐसे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जहाँ कोई पेयजल स्रोत नहीं है, वहाँ नलकूप निर्माण की योजना ली जायेगी। राज्य के बड़े

शहरों की जलापूर्त्ति के पुनर्गठन की भी योजना है।

- नयी राजधानी तथा उपराजधानी को सुव्यवस्थित करने तथा सरकारी भवनों की आवश्यकता की पूर्त्ति की ओर भी ध्यान दिया गया है। त्वरित गति से नयी राजधानी के कार्यान्वयन हेतु GRDA की स्थापना की गई है। सात जिलों में विकास भवन तथा समाहारणालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। राज्य पुनर्गठन के बाद परिसदन भवनों की काफी कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए 9 जिलो में परिसदन भवन बनाने का कार्य चल रहा है। ग्यारहवें वित्त आयोग के निदेश के क्रम में 89 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट भवन तथा नेपाल हाऊस में अतिरिक्त तल्ले का निर्माण, अनुमंडलीय कार्यालयों का निर्माण, उपायुक्त / आरक्षी अधीक्षक / न्यायिक पदाधिकारियों के आवास आदि का कार्य भी चल रहा है। नई दिल्ली में झारखण्ड भवन के निर्माण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है।
- झारखण्ड राज्य खनिंज सम्पदा के दृष्टिकोण से देश का प्रमुख राज्य है। देश की लगभग 37 प्रतिशत से अधिक खनिज सम्पदा इस राज्य में अवस्थित है। झारखण्ड राज्य में तीन कोल बेड मिथेन के ब्लाक भी चिन्हित हैं। बोकारो तथा हजारीबाग जिलान्तर्गत CBM के अन्वेषण हेतु IOC तथा ONGC को संयुक्त रूप से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है। पाकुड़ जिला का ब्लाक पैनएम को आवंटित है। एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की प्राप्ति के साथ, इससे राज्य सरकार के आन्तरिक संसाधन में वृद्धि होगी। मोनेट ग्रूप ऑफ कम्पनीज के साथ लौह अयस्क व कोयला खनिज पर आधारित 1400 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया है।
- राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया जा रहा हैं प्रधान मंत्री रोजगार येजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग, व्यापार, सेवा के क्षेत्र में बैंकों से ऋण दिलाकर स्वावलम्बी बनाया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 9817 आवेदन विभिन्न बैंकों को अग्रसारित किये गये जिसमें 3758 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये जिसमें 3386.10 लाख रूपये की राशि निहित है। कुल 1732 मामले मे 1269.16 लाख रूपये वितरित किये गये।
- राज्य में तीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यथा, राँची, बोकारो एवं आदित्यपुर में कार्यरत हैं। संथाल परगना क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिये दुमका औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किये जाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। राज्य गठन के बाद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में नये उद्योग लगाने हेतु 107 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें से 101 स्वीकृत किये गये। राँची तथा बोकारो में क्रमशः 71 तथा 8 स्वीकृत किये गये।
- राज्य सरकार के प्रयास से इन्लैंड कन्टेनर डिपो का निर्माण जमशेदपुर में किया गया है। यह कार्यशील है एवं प्रत्येक माह 250 कंटेनर भेजे जा रहे हैं। इसे ड्राईपोर्ट बनाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में फूलों, फलों, सब्जियों तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के लिये एयर पोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के सहयोग से राँची एयर कार्गो कम्प्लेक्स की स्थापनाके लिये कार्रवाई की जा रही है। कुशल शिल्पियों तथा दक्ष बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बिक्री करने के लिये बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राँची तथा हजारीबाग में

शहरी हाट की स्थापना की जा रही है। अन्य बड़े जिलों में भी इस प्रकार के हाट की स्थापना का प्रस्ताव है।

- झारखण्ड राज्य में भूमि से सम्बन्धित विशेष कानून है। भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराकर निर्धन/अनुसूचित जाति/जनजाति/कमजोर वर्गों तथा अन्य सुयोग्य श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सीलिंग से प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण, आदिवासियों की गैर कानूनी ढंग से जमीन से बेदखली रोकने एवं बेदखल की गयी जमीन पर कब्जा दिलाने, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, सड़क तथा अन्य योजनाओं के लिये भू-अर्जन, राजस्व कचहरी का निर्माण, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भू-मानचित्रों की छपाई, जमींदारी बांधों की मरम्मती, सैरात का विकास आदि कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाये जा रहे हैं। भूमि के उपयोग से संबंधित नियमावली में सुधार एवं Apartment Act को लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ताकि कृषि संबंधी भूमि एवं गैर कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश में वृद्धि हो।
- राज्य का एक बड़ा भाग (29.61 प्रतिशत) वन से आच्छादित है। फिर भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप राज्य सरकार वनाच्छादित क्षेत्रफल को 33 प्रतिशत तक विस्तारित करने हेतु प्रयत्नशील है। वर्ष 2002-2003 में कुल 38,745.22 हे0 भूमि पर कुल 4.97 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। ऐसी योजनायें विशेषकर शामिल की गयी हैं जिनका प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीणों को प्राप्त होगा। शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राज्य के सृजनोपरान्त कुल 40,084 पौधों का गेबियन वृक्षारोपण कराया गया है। प्रत्येक प्रखण्ड में स्थायी पौधशाला स्थापित करने के निर्णय के आलोक में कुल 106 प्रखण्डों में 155 स्थलों पर 175 हे0 क्षेत्रफल में स्थायी पौधशालायें स्थापित की जा चुकी हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 239 हे0 क्षेत्रफल में स्थायी पौधशालायें स्थापित हो जायेंगी जिनमें प्रतिवर्ष 239 लाख उत्तम किस्म के पौधे उपलब्ध होंगे। वर्ष 2002-03 में कुल 48,890 हे0 भूमि का वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य प्रगति पर है। 2003-04 के वर्षा काल में कुल 6.72 करोड़ पौधों का रोपण सम्भव हो सकेगा। इसी वित्तीय वर्ष में कुल 252.58 कि0 मी0 लम्बाई में पथतट वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य भी प्रगति पर है।
- वनरोपण कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति हेतु सरकार द्वारा सभी वनरोपण योजनाओं में इंटरफेस कार्यों के लिये अलग से राशि कर्णाकित की गयी है।
- हमारे राज्य में पर्यटन के माध्यम से राजस्व प्राप्ति की असीम सम्भावनायें हैं। पर्यटन के विकास के लिये सरकार द्वारा आई. टी. डी. सीं. के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। आई. टी. डी. सी. द्वारा टर्न की आधार पर राँची के आस-पास 8 पर्यटन स्थलों का विकास कार्य किया जायेगा। ये स्थल हैं :- हटिया डेम, काँके डेम, दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुण्डरू जलप्रपात, राँची हिल, जगन्नाथ मंदिर तथा पहाड़ी मंदिर। रजरप्पा को विकसित करने के लिये 4.75 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है। ओ0 आर0 जी0 मार्ग रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा परिदृष्य योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

- गत वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर झारखण्ड के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य तथा देश का नाम रौशन किया गया है। खेलकूद प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें मुख्य है – विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगितायें, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगितायें, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों को सम्मान तथा अंतः संरचना का विकास। राँची, खूंटी, दुमका, लातेहार, एवं गुमला में स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
- महोदय, पिछले वर्ष में वित्त विभाग तथा सभी विभागों के साथ गहरी समीक्षा के उपरांत गैर योजना मद में मितव्ययिता लाया गया है। जिसके चलते गैर योजना मद में अनुमानित खर्च घटने की सम्भावना है। इसके फलस्वरूप हमने अपनी योजना मद के लिए हमलोगों ने करीब 2900 करोड़ रू0 का अनुमान लगाया है। हमारे समान आकार/जनसंख्या वाले अन्य राज्यों में योजना मद में इतनी अधिक राशि का उपबंध शायद ही किसी राज्य में हुआ हो। महोदय, पिछले वर्ष बिहार राज्य के योजना मद में अनुमानित उपबंध 2964 करोड़ था एवं योजना मद में सर्वाधिक उपबंध 4000 करोड़ रू0 महाराष्ट्र में था जबकि महाराष्ट्र की जनसंख्या हमारे राज्य की जनसंख्या से तिगुना अधिक है एवं यह हिन्दुस्तान का सबसे धनी राज्य माना जाता है।
- महोदय, वित्तीय नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक विभागों को अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान करने के फलस्वरूप राज्य में 2400 करोड़ रू0 से अधिक का स्वीकृत्यादेश निर्गत हो चुका है जो कि कुल उपबंध के अनुपात के हिसाब से भारत के अग्रणी राज्यों के बराबर है। वित्तीय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप योजना मद की राशि वर्ष के प्रारम्भ में ही स्वीकृत करना संभव हुआ जिसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आयी, रोजगार के साधन बढ़े, उपभोक्ता आइटम के उत्पादन एवं खपत में बढ़ोत्तरी हुई। संक्षेप में, राज्य की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षो में इस प्रक्रिया को और त्वरित किया जाएगा।
- महोदय, मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ कि सरकार का समय, अर्थ एवं शक्ति का अधिकांश हिस्सा अपने ही कर्मचारियों एवं व्यवस्था के पीछे लग जाता है। राज्य के विकास की गति को त्वरित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। संक्षेप में, झारखण्ड सरकार की मंशा यह है कि कर व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था में सुधार लाया जाय ताकि कुछ ही वर्षो में हमारा राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाय।
- महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक 2003–2004 उपस्थापित करना चाहता हूँ।

(दिनांक 3 मार्च, 2003 को वित्त मंत्री द्वारा सभा में दिया गया बजट भाषण)